न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 72/2019

जीसीएमएस नम्बर : 2019/00218

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
1. दाकू पत्नी स्व. छोगाराम 2. राजेश कुमार पुत्र स्व. छोगाराम जातिगण हीरागर (सरगरा) निवासीगण पुनाडिया तहसील रानी जिला पाली		1. सरपंच ग्राम पंचायत मांडल, पंचायत समिति रानी स्टेशन जिला पाली 2. सरपंच, ग्राम पंचायत ईटन्दरा चारणान, पंचायत समिति रानी स्टेशन जिला पाली 3. मोडाराम पुत्र लच्छाराम जाति हीरागर (सरगरा) निवासी पुनाडिया तहसील रानी स्टेशन जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अभिनव चण्डालिया ।

–: निर्णय :–

दिनांक : 20.5.2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत मांडल द्वारा जारी पट्टा संख्या 1808 दिनांक 28.12.1974 को निरस्त कराने बाबत पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। वक्त बहस अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 अनुपस्थित होने से विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता ने वक्त बहस निगरानी प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी के पिता छोगाराम पुत्र लच्छाराम निवासी पुनाडिया तहसील रानी का देहांत दिनांक 24.02.1982 को हो गया था। जिनकी समस्त चल–अचल संम्पति के कानुनन विधिक उत्तराधिकारी प्रार्थीगण है। अप्रार्थी संख्या 03 मोडाराम एवं प्रार्थीगण के पिता छोगाराम दोनो सगे भाई है। छोगाराम के जीवनकाल में ही संपति का पारिवारीक बंटवारा किया गया जिसमें मौखिक सहमति अनुसार ग्राम पुनाडिया हीरागरो की बस्ती में स्थिति संपति प्रार्थीगण के पिता छोगाराम के हक में आयी, जिसका उपयोग प्रार्थीगण अपने जीवन काल से ही बतौर मालिक बेरोक–टोक नियमित रूप से कर रहे है। जिसके पडौस पूर्व में दरवाजा व आम रास्ता, पश्चिम में गली व देवासी का मकान, उत्तर में मांगीलाल हीरागर का मकान एवं दक्षिण में देवासी का मकान आया हुआ है। जिसका नाप 30 बाई 45 फिट है। अप्रार्थी संख्या 03 प्रार्थीगण के हक में आये जैर आराजी मकान को दबाने की नियत से दिनांक 22.05.2018 को नीव खोदने एवं निर्माण कार्य करने लगा,

अति. जिला कलक्टर, पाली

जिसके संबध में माननीय सिविल न्यायाधीश देसूरी के न्यायालय में सिविल वाद दाकु बनाम मोडाराम प्रकरण सख्या 20/2018 प्रस्तुत किया। जिसमें अप्रार्थी संख्या 03 के जवाब में स्पष्ट स्वीकारोक्ति है कि विवादग्रस्त मकान पर प्रार्थीगण का कब्जा पिछले 35 वर्षो से है तथा प्रार्थीगण के नाम से विद्युत कनेक्शन भी है। अप्रार्थी संख्या 3 ने ग्राम पंचायत माण्डल से मिलीभगत कर षडयंतपूर्वक पंचायत नियमों की पालना किये बगैर जैर निगरानी पट्टा जारी करवा दिया, जो काबिले खारिज योग्य है।

अप्रार्थी संख्या 03 के अधिवक्ता ने पूर्व में जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि अप्रार्थी को अनुसुचित जाती एवं जनजाति व श्रमिक तथा कारीगरो को आबादी भुमि के निःशुल्क पट्टे आवंटित हुआ थे जिसके तहत अप्रार्थी संख्या 03 को जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है। छोगाराम की मृत्यु हो जाने से अप्रार्थी ने निमार्ण सुदा आधा मकान प्रार्थीगण को रहने के लिये 38 वर्ष पूर्व दिया था जिसमे प्रार्थीगण निवास कर रहे है। अब अप्रार्थी का पट्टा सुदा मकान हडपने की नियत से जैर निगरानी प्रकरण न्यायालय के समक्ष पेश किया है। जिसका गलत फायदा उठाकर विद्युत विभाग में गलत दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रार्थीगण ने विद्युत कनेक्शन अपने नाम से ले लिया। अप्रार्थी का जैर निगरानी मकान पर स्वामित्व एवं आधिपत्य होने से अपनी इच्छा अनुसार निर्माण कार्य एवं मरम्मत करवाने का अधिकार है, जिसके संबध में अप्रार्थी द्वारा नियमानुसार ग्राम पंचायत इंटदरा चारणान में निर्माण कार्य की परमिशन ली है लेकिन प्रार्थीगण बिना हक अधिकार से निर्माण कार्य में अवरोध पैदा कर रहे है। ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा नियमों के परिपेक्ष में जारी किया है। साथ ही प्रार्थीगण ने जैर निगरानी प्रकरण करीबन 46 वर्ष बाद प्रस्तुत किया है जो म्याद पर भी खारिज योग्य है। अतः प्रार्थीगण की निगरानी खारिज करना फरमावे।

हमने विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया। पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत मांडल द्वारा जारी पट्टा संख्या 1808 दिनांक 28.12.1974 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहे है। अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थीगण के पिता ने अपने जीवनकाल में ही संपति का पारिवारीक बंटवारा कर दिया था जिसके अनुसार प्रार्थीगण जैर निगरानी आराजी पर निवासरत है जबकि अप्रार्थी संख्या 3 ने अपने जवाब में उल्लेख किया कि प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु हो जाने से अप्रार्थी ने निमार्ण सुदा आधा मकान प्रार्थीगण को रहने के लिये 38 वर्ष पूर्व दिया था जिसमें प्रार्थीगण निवास कर रहे है। जिसके सम्बन्ध में अधिवक्ता प्रार्थी पारिवारीक बंटवारे के दस्तावेज अथवा पुराने कब्जे के कोई साक्ष्य सबुत प्रस्तुत करने में भी असफल रहे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 ने अपने जवाब में अंकित किया कि अप्रार्थी को अनुसुचित जाति एवं जनजाति, श्रमिक तथा कारीगरो को आबादी भुमि के तहत निःशुल्क पट्टा आवंटित हुआ थे जिसके सम्बन्ध में अधिवक्ता प्रार्थी यह स्पष्ट नहीं कर पाये कि अप्रार्थी निःशुल्क पट्टा हेतु अधिकारिता रखते है अथवा नहीं ? और न ही इस सम्बन्ध में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा कोई कथन किया गया ऐसी स्थिति में हम जैर निगरानी पट्टे को

अति. जिला कलक्टर, पाली

खारिज करना उचित नहीं समझते है। अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी आराजी का विद्युत कनेक्शन भी प्रार्थीगण के नाम से है जो अप्रार्थी स्वंय ने भी अपने जवाब में अंकित किया है परन्तु जब अधिवक्ता प्रार्थी से विद्युत कनेक्शन से सम्बन्धित पुराने दस्तावेज चाहे गये तो अधिवक्ता प्रार्थी इस सम्बन्ध में स्पष्ट जवाब नहीं दे पाये और न ही कोई दस्तावेज प्रस्तुत किये। लिहाजा अधिवक्ता प्रार्थी जैर निगरानी पट्टे में किसी भी प्रकार की अनियमितता सिद्ध नहीं कर पाये। अतः जैर निगरानी पट्टे को खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती हैं तथा ग्राम पंचायत मांडल द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 मोडाराम पुत्र लच्छाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 1808 दिनांक 28.12.1974 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 20/5/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली